

सं. 24011/01/2018-स्था.(ख)

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली, दिनांक : 9 फरवरी, 2018

कार्यालय जापन


विषय : प्रतिनियुक्ति आधार पर 67,000/-रुपए (3% की दर से वार्षिक वृद्धि) - 79,000/-रुपए (संशोधन-पूर्व) वेतन बैंड/एचएजी वेतनमान में अध्यक्ष, कर्मचारी चयन आयोग (एससीसी), नई दिल्ली (अपर सचिव स्तर) के पद को भरा जाना।

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि [67,000/-रुपए (3% की दर से वार्षिक वृद्धि) - 79,000/-रुपए एचएजी वेतनमान (संशोधन-पूर्व) (अपर सचिव स्तर)] में अध्यक्ष, कर्मचारी चयन आयोग (एससीसी), मुख्यालय नई दिल्ली के पद को भरा जाना प्रस्तावित है। योग्यता संबंधी मानदंड अनुलग्नक-1 में दिए गए हैं।

2. केवल ऐसे अधिकारियों के आवेदन पर ही विचार किया जाएगा जिन्हें उचित माध्यम से भेजा गया हो और जिनके साथ (i) अनुलग्नक-11 में दिए गए प्रोफार्मा में जीवनवृत्त (बायोडाटा); (ii) अधिकारी के अद्यतन एपीएआर डोजियर की स्पष्ट फोटोकॉपी जिसमें कम से कम पांच वर्षों की एपीएआर उपलब्ध हों जिसे समूह 'क' अधिकारी द्वारा विधिवत सत्यापित किया गया हो (यदि मूल एपीएआर को नहीं भेजा जा सकता); (iii) विगत पांच वर्षों के दौरान एपीएआर में दी गई ग्रेडिंग को दर्शाते हुए एक सत्यापित विवरण (iv) संवर्ग अनापत्ति; (v) सतर्कता एवं अनुशासनात्मक दृष्टिकोण से अनापत्ति; और (vi) विगत दस वर्षों के दौरान छोटी एवं बड़ी शास्तियों, यदि कोई हों, के ब्यौरे सहित विवरण शामिल हों।

3. सभी मंत्रालयों/विभागों तथा राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों से यह अनुरोध है कि वे विहित प्रोफार्मा में इच्छुक एवं पात्र अधिकारी के आवेदनों को अनुभाग अधिकारी (स्था.ख-1), कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग), कमरा सं. 215-सी, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली - 110001 को दिनांक 26/3/2018 तक अग्रेषित करें।

4. केवल ऐसे अधिकारियों के आवेदनों को ही अग्रेषित किया जाए, जो चयन हो जाने की स्थिति में पद का कार्यभार तुरंत ग्रहण कर सकें और जिन्हें संबंधित प्राधिकरण द्वारा तुरंत कार्यमुक्त किया जा सके। एक बार आवेदन करने के पश्चात उसे वापस लिए जाने की अनुमति नहीं होगी। निर्धारित तारीख के पश्चात प्राप्त अथवा अपेक्षित प्रमाण-पत्रों/दस्तावेजों के बिना भेजे गए आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा।



(एन. श्रीरामन)

निदेशक

दूरभाष सं. 23094637

सेवा में

- भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों के सचिव (नाम से)।
- सभी राज्य सरकारों एवं संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य सचिव (नाम से)।
- भारत सरकार के सभी संवर्ग नियंत्रक प्राधिकरण।
- तकनीकी निदेशक, एनआईसी, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को इस विभाग की वेबसाइट पर 'नया क्या' (वाट्स न्यू) और 'रिक्ति अधिसूचना' शीर्ष के अंतर्गत इस परिपत्र को तुरंत अपलोड करने हेतु।

अध्यक्ष, कर्मचारी चयन आयोग, नई दिल्ली के पद के लिए पात्रता मानदंड

1. पद का नाम : अध्यक्ष, कर्मचारी चयन आयोग, नई दिल्ली।
2. वेतनमान : 67,000/-रु. (3% की दर से वार्षिक वृद्धि)-79,000/- रु. का वेतन बैंड/एचएजी वेतनमान (संशोधन-पूर्व)-[7वें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार संशोधित वेतन मैट्रिक्स में (182200/-रु. - 224100/- रु.) लेवल 15]
3. पात्रता : केन्द्र सरकार के अधिकारी (अखिल भारतीय सेवाओं और केन्द्रीय समूह 'क' सेवाओं के अधिकारियों सहित)

(क) (i) मूल संवर्ग/विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हों;

अथवा

(ii) मूल संवर्ग अथवा विभाग में पीबी-4 के वेतनमान में, 10,000/-रु. (संशोधन पूर्व) के ग्रेड वेतन सहित 37,400/-रु.-67,000/-रु. में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात उस ग्रेड में तीन वर्ष की सेवा की हो; और

(ख) अधोलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखते हों, नामतः :-

- I. किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्था से किसी भी विषय में स्नातकोत्तर डिग्री; और
- II. सेवा, प्रशासनिक, सतर्कता, स्थापना और वित्तीय मामलों से जुड़े कार्यों में 15 वर्ष का अनुभव।

4. **प्रतिनियुक्ति की अवधि** : कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष के पद पर नियुक्ति के समय ऊपरी आयु सीमा 59 वर्ष होगी और वह पांच वर्ष की अवधि अथवा उनके 62 वर्ष की आयु प्राप्त होने, जो भी पहले हो, तक के लिए पद धारित करेगा/करेगी, बशर्ते कि यदि किसी ऐसे सेवारत अधिकारी को अध्यक्ष, कर्मचारी चयन आयोग के रूप में नियुक्त किया जाता है, जो पांच वर्ष का कार्यकाल पूरा करने के पूर्व ही अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्त होगा, तो उसे 62 वर्ष की ऊपरी आयु सीमा के अध्यक्षीन कार्यकाल की शेष अवधि के लिए पुनः नियोजन पर होना समझा जाएगा।

5. **आयु सीमा** : प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा 26/03/2018 को 59 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

प्रपत्र

हाल ही के पासपोर्ट
आकार का फोटो

1. नाम और पता (बड़े अक्षरो में)
2. सेवा, जिससे संबंधित है:
3. जन्म तिथि:
और आयु (दिनांक 26/03/2018 को)
4. केन्द्र सरकार के नियमों के अंतर्गत सेवानिवृत्ति की तारीख:
5. शैक्षणिक योग्यता -स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर:
6. क्या अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अल्पसंख्यक वर्ग से संबंधित है:
7. कृपया वर्तमान धारित पद के संबंध में निम्नलिखित का ब्यौरा दें-
(क) वर्तमान धारित पद एवं उसकी तारीख:
(ख) क्या नियमित/तदर्थ हैं:
(ग) वेतनमान:
(घ) वर्तमान मूल वेतन:
8. कृपया स्पष्ट रूप से उल्लेख करें कि आप किस प्रकार निर्धारित योग्यताएं पूरी करते हैं:
(i) क्या आप मूल संवर्ग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं (कृपया स्पष्ट रूप से हां अथवा नहीं का उल्लेख करें, ब्यौरे नीचे दी गई तालिका दें)
(ii) क्या आपने नियुक्ति के बाद मूल संवर्ग या विभाग में पी बी-4, 37400-67000/- + 10,000 /- रुपये के ग्रेड वेतन के वेतनमान (पूर्व-संशोधित) अथवा समकक्ष वेतनमान में नियमित आधार पर उस ग्रेड में तीन वर्ष की सेवा की है (कृपया हाँ अथवा नहीं उल्लेख करें; ब्यौरा नीचे दी गई तालिका में दें)
(iii) पिछले 15 वर्षों में धारित पदों के ब्यौरे निम्नलिखित तालिका में दिये जाने हैं (वर्तमान पद से शुरू करते हुए)

क्रम सं.	कार्यालय/संगठन का नाम, जहां नियोजित है	धारित पद	से	तक	वेतनमान
1	2	3	4	5	6

- (iv) सेवा, स्थापना, सतर्कता, प्रशासन और वित्तीय मामलों को देखने संबंधी पिछले 15 वर्षों के अनुभव का ब्यौरा निम्नलिखित तालिकानुसार दिया जाना चाहिए।

पिछले 15 वर्षों में अनुभव-क्षेत्र	इयूटी की प्रकृति	अनुभव की अवधि	वह संगठन जिसमें संगत अनुभव प्राप्त किया गया था
(क) प्रशासन (ख) सतर्कता: (ग) स्थापना: (घ) वित्तीय मामले			

9. अतिरिक्त जानकारी जिसे आप इस पद हेतु अपने आवेदन के समर्थन में, यदि कोई हो, उल्लिखित करना चाहते हैं:

(उम्मीदवार के हस्ताक्षर)

दूरभाष सं. (एसटीडी कोड सहित)/मोबाइल नं.

कार्यालय का पता एवं कार्यालयी दूरभाष संख्या

निवास स्थान का पता:

तारीख

(जांच सूची)

- (i) प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक द्वारा दिए गए विवरणों की उपलब्ध रिकॉर्ड से जांच कर ली गई है और ये सही पाए गए हैं।
- (ii) प्रमाणित किया जाता है कि इस अधिकारी के विरुद्ध न तो कोई अनुशासनिक कार्यवाही/सतर्कता मामला विचाराधीन है न ही लंबित है।
- (iii) पिछले 10 वर्षों के दौरान दिए गए दंडों की सूची संलग्न है। पिछले 10 वर्षों में कोई दंड नहीं दिया गया (जो बात लागू न हो उसे काट दें)
- (iv) सत्यनिष्ठा प्रमाणित की जाती है।
- (v) अधिकारी की पिछले पाच वर्षों की वार्षिक कार्य निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट (एपीएआर) डोजियर अथवा अद्यतन एपीएआर डोजियर की साक्ष्यांकित फोटो प्रतियां संलग्न हैं।
- (vi) पिछले पांच वर्षों के दौरान वार्षिक कार्य निष्पादन मूल्यांकन (एपीएआर) में ग्रेडिंग को इंगित करते हुए साक्ष्यांकित विवरण

एपीएआर ग्रेडिंग प्रपत्र					
अधिकारी का नाम	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17

- (vii) प्रमाणित किया जाता है कि चयन होने की स्थिति में अधिकारी को तत्काल कार्यमुक्त कर दिया जाएगा।

हस्ताक्षर

अंग्रेषित करने वाले अधिकारी का
नाम एवं पदनाम तथा मोहर एवं
टेलीफोन नं. (एसटीडी कोड) / मोबाइल नं.